

हिमाचल प्रदेश
में
उद्यान विकास हेतु
सुविधाएं एवं सहायताएं



उद्यान विभाग, हिमाचल प्रदेश, शिमला-2

हिमाचल प्रदेश

में

उद्यान विकास हेतु

सुविधाएं एवं सहायताएं



उद्यान विभाग, हिमाचल प्रदेश, शिमला-2

सम्पादक मण्डल

| | | |
|---------------|---|-------------------|
| मुख्य सम्पादक | : | डा० आर० पी० शर्मा |
| सम्पादक | : | डी० आर० वर्मा |
| सहायक सम्पादक | : | विमला ठाकुर |
| छाया | : | शशी राम |

प्राक्कथन

उद्यान विभाग हिमाचल प्रदेश बागवानों को विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत सुविधाएं एवं प्रोत्साहन उपलब्ध करवाता है ताकि प्रदेश के लघु एवं सीमान्त, पिछड़ा क्षेत्र, अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अन्य वर्ग के बागवान बागवानी व इससे जुड़े व्यवसायों जैसे कि मुधुमक्खी पालन, पुष्प उत्पादन, खुम्ब उत्पादन व औषधीय एवं सुगन्धित पौधों के उत्पादन को अपना सकें। विभाग द्वारा कार्यान्वित योजनाओं के अन्तर्गत अनेक सुविधायें बागवानों को उपलब्ध करवाई जा रही हैं जिनका विवरण इस पुस्तिका में संकलित किया गया है ताकि इसकी जानकारी सभी वर्ग के बागवानों/किसानों को उपलब्ध हो सके।

मुझे उम्मीद है कि यह प्रकाशन प्रसार अधिकारियों, बागवानों तथा बागवानी से सम्बन्धित सभी वर्ग के व्यक्तियों को लाभदायक सिद्ध होगी तथा वे विभाग द्वारा संचालित परियोजनाओं से पूरा-पूरा लाभ उठाएंगे।

डा० आर० पी० शर्मा,
निदेशक, उद्यान,
हि० प्र०, शिमला-2.

विषय सूची

| क्र० सं० | विवरण | पृष्ठ |
|----------|--|-------|
| 1. | उद्यान विकास कार्यक्रम 1. फल पौधे की आपूर्ति 2. पौध संरक्षण सामग्री की आपूर्ति 3. उद्यान सामग्री/उपकरणों की आपूर्ति | 1-3 |
| 2. | उद्यान प्रसार सेवा 1. उद्यान प्रसार अधोसंरचना 2. पत्ती विश्लेषण सेवा 3. उद्यान प्रशिक्षण 4. उद्यान अभियान 5. उद्यान सूचना सेवा | 3-7 |
| 3. | फल विपणन कार्यक्रम | 7-8 |
| 4. | उद्यान ऋण सुविधायें लघु अवधि के ऋण | 8-11 |
| 5. | फल (परिरक्षण) कार्यक्रम (क) फल विधायन सेवा (ख) सामुदायिक विधायन सेवा (ग) घरेलू स्तर पर फल परिरक्षण में प्रशिक्षण (घ) फलों के रस के विपणन हेतु सुविधा | 12-13 |
| 6. | एकीकृत उद्यान विकास के लिए टैक्नोलोजी मिशन टैक्नोलोजी मिशन के मिनि मिशन 2 के अन्तर्गत सहायता (1) क्षेत्र विस्तार (2) जल स्रोतों का सृजन (3) जल प्रबन्धन हेतु (4) आनफार्म हैण्डलिंग यूनिट (5) रोपण सामग्री का उत्पादन (6) तकनीकी हस्तान्तरण | 13-19 |

- (7) जैविक खेती और जैव उर्वरक को बढ़ावा
 (8) कृषि उपकरणों को प्रोत्साहन एवं लोकप्रिय बनाना
 (9) एकीकृत कीट प्रबन्धन हेतु प्रोत्साहन
 (10) प्लांट हेल्थ क्लिनिक की स्थापना
 (11) पत्ती विश्लेषण प्रयोगशालाओं की स्थापना
 (12) मौन पालन विकास
 (13) महिला कृषक का उद्यमी विकास
- 7. फलों की पैकिंग सामग्री पर उपदान 19-20**
 (क) कौरुगेटिड फाइबर बोर्ड के बक्सों पर उपदान
 (ख) सफेदे एवं पापुलर की लकड़ी का बाहर से आयात पर परिवहन उपदान ।
 (ग) प्लास्टिक क्रेट्स
- 8. उद्यानों की स्थापना 21-23**
 (क) किसानों को व्यक्तिगत उद्यान स्थापना हेतु प्रोत्साहन ।
 (ख) गार्डन कालोनी की स्थापना
 (ग) पौध संरक्षण दवाइयों पर उपदान
- 9. पुष्प उत्पादन कार्यक्रम 24-25**
 (1) पुष्प उत्पादन में प्रशिक्षण
 (2) पुष्प सामग्री की आपूर्ति
 (3) पुष्प उत्पादन हेतु ऋण सुविधायें
- 10. खुम्ब उत्पादन कार्यक्रम 25-27**
 (1) खुम्ब उत्पादन में प्रशिक्षण
 (2) खुम्ब खाद की आपूर्ति
 (3) खुम्ब खाद हेतु उपदान सुविधायें
 (4) खुम्ब उत्पादन हेतु ऋण सुविधायें
- 11. मौन पालन विकास 27-30**
 (क) प्रशिक्षण सुविधायें
 (ख) मौन पालन सामग्री की आपूर्ति
 (ग) मौन पालन हेतु उपदान
 (घ) मौन पालन हेतु ऋण सुविधायें
 (घ) मधु विपणन सहायता
- 12. हॉप्स उत्पादन 30-32**
 (1) प्रशिक्षण सुविधाएं
 (2) हॉप्स उत्पादन हेतु पौध एवं अन्य सामग्री की आपूर्ति ।
 (3) हॉप्स विकास हेतु उपदान
 (4) हॉप्स विकास हेतु सुविधा
 (5) हॉप्स विधायन सुविधा

उद्यान विकास कार्यक्रम

हिमाचल प्रदेश मूलतः कृषि प्रधान प्रदेश है और प्रदेश की कृषि आर्थिकी में बागवानी का विशेष योगदान है । बागवानी प्रदेश की ग्रामीण जनता के सामाजिक व आर्थिक उत्थान का अभिन्न अंग बन गया है । यहां पर लगभग सभी प्रकार के फल व्यवसायिक रूप से उत्पादित किए जा सकते हैं ।

हिमाचल प्रदेश सरकार प्रदेश में उद्यान विकास को कृषि आर्थिकी का एक महत्वपूर्ण अंग मानती है तथा उद्यान के माध्यम से बागवानों को उद्यान विकास हेतु विभिन्न सुविधयें उपलब्ध करवाई जा रही हैं जिनका विवरण इस प्रकार है ।

1. फल पौधों की आपूर्ति :

फल पौध सामग्री विकास उद्यान का आधार है । प्रदेश के किसानों को उच्च कोटि एवं उत्तम प्रजातियों के क्रीट एवं बीमारी रहित फल पौधों की आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु उद्यान विभाग द्वारा प्रदेश में विभिन्न स्थानों पर 104 फल संतति एवं प्रदर्शन उद्यान/पौधशालाओं की स्थापना की गई है, जहां पर विभिन्न फल फसलों/प्रजातियों के फल पौध उत्पादित करके बागवानों को उचित दामों पर उपलब्ध करवाये जाते हैं। इसके अतिरिक्त निजी क्षेत्रों में भी फल पौध उत्पादन कार्य को प्रोत्साहित किया जाता है तथा निजी पौधशालाएं, हिमाचल प्रदेश पौधशाला पंजीकरण अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत की जाती हैं । इसके अन्तर्गत नर्सरी उत्पादन को और अधिक बढ़ावा दिया जा रहा है ताकि प्रदेश के बाहर से फल पौधे आयात न किए जायें । यदि बागवानों की पौधों की मांग आन्तरिक उपलब्धता से अधिक हो तो इसकी आपूर्ति पड़ोसी राज्यों में स्थापित सरकारी एवं पंजीकृत फल पौधशालाओं से की जाती है । फल पौधों को विकास खण्ड कार्यालय तक पहुंचाने के लिये प्रदेश के अन्दर होने वाला परिवहन व्यय भी सरकार द्वारा वहन किया जाता है ।

जो बागवान अपने खेतों में फल उद्यान लगाने के इच्छुक हों, वे पौधों की आपूर्ति हेतु अपने निकटस्थ फल संतति एवं प्रदर्शन उद्यानों, निजी पंजीकृत पौधशालाओं, विकास खण्ड कार्यालय में नियुक्त उद्यान विकास अधिकारी अथवा जिला में नियुक्त उप-निदेशक उद्यान से सम्पर्क स्थापित कर सकते हैं । पौधों की आपूर्ति हेतु सादे कागज पर आवेदन पत्र वर्षा ऋतु में लगने वाले फल पौधों के लिये मई मास तथा शरद ऋतु में लगने वाले फल पौधों के लिये नवम्बर मास तक सम्बन्धित अधिकारियों को आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिये भिजवा सकते हैं । आवेदन पत्र में वांछित फल पौधों की किस्म, फल प्रजाति एवं पौधों की संख्या का विवरण भी दिया जाना चाहिए ।

2. पौध संरक्षण सामग्री की आपूर्ति :

उद्यान उत्पादन हेतु आवश्यक फफूंदनाशक/कीटनाशक दवाइयों की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश के फल उत्पादन क्षेत्रों में 226 वितरण केन्द्रों की स्थापना की है । विकास खण्ड स्तर/वितरण केन्द्र स्तर पर इस सामग्री के परिवहन पर होने वाला व्यय भी सरकार द्वारा वहन किया जाता है, ताकि दूर दराज तक के क्षेत्रों तक यह सामग्री एक ही दाम पर उपलब्ध हो सके । जो बागवान पौध संरक्षण सामग्री प्राप्त करके के इच्छुक हों, वे अपने विकास खण्ड में नियुक्त उद्यान विकास अधिकारी, पौध संरक्षण वितरण केन्द्रों के प्रभारी अथवा उप निदेशक उद्यान से सम्पर्क स्थापित कर सकते हैं ।

3. उद्यान सामग्री/उपकरणों की आपूर्ति :

उद्यान विभाग प्रदेश में विकास कार्यक्रमों में उपयोग होने वाली विविध उद्यान सामग्री/उद्यान उपकरणों की आपूर्ति भी जिला स्तरीय उद्यान कार्यालय तथा विकास खण्डों में स्थापित उद्यान विकास कार्यालयों के माध्यम से करता है। जो किसान इन उद्यान सामग्रियों/उपकरणों जैसे कि कैंची, चाकू, आरी, पौध संरक्षण उपकरण, सिंचाई सामग्री, सूक्ष्म तत्व आदि प्राप्त करने के इच्छुक हों, वे अपने विकास खण्ड के उद्यान विकास अधिकारी अथवा उप निदेशक उद्यान से सम्पर्क कर सकते हैं ।

2. उद्यान प्रसार सेवा

बागवानी से सम्बन्धित नई जानकारी बागवानों तक पहुंचाने के लिये विभिन्न प्रसार सेवायें उपलब्ध करवाई जाती हैं जैसे कि :-

1. उद्यान प्रसार अधोसंरचना :

बागवानों को उद्यान सम्बन्धी तकनीकी जानकारी एवं उद्यान सामग्री उपलब्ध करवाने हेतु विकास खण्ड स्तर पर उद्यान विकास अधिकारी की नियुक्ति की गई है। इसके अतिरिक्त समस्त जिलों में ग्राम स्तर पर उद्यान प्रसार अधिकारी भी नियुक्त किए गए हैं ।

2. पत्ती विश्लेषण सेवा :

प्रदेश के बागवानों को अपने फल पौधों में उर्वरकों की सन्तुलित मात्रा जानने के उद्देश्य से पत्ती विश्लेषण सेवा निशुल्क उपलब्ध करवाई जा रही है तथा इस कार्य हेतु शिमला, धर्मशाला तथा कुल्लू में पत्ती विश्लेषण प्रयोगशालाओं की स्थापना की गई है। इसके अतिरिक्त प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों में बागवानों को पत्ती विश्लेषण सेवा उपलब्ध करवाने हेतु जिला किन्नौर के रिकांगपिओ व जिला चम्बा के भरमौर में ड्राईंग एवं ग्राईडिंग इकाइयां भी कार्यरत हैं। प्रतिवर्ष लगभग 15,000 से 20,000 पत्तियों के नमूनों को विश्लेषण करके सम्बन्धित बागवानों को बागीचों में उचित खाद डालने के विषय में जानकारी दी जाती है। जो बागवान अपने फल वृक्षों की पत्ती विश्लेषण सुविधा प्राप्त करने के इच्छुक हों वे अपने क्षेत्रों के उप-निदेशक उद्यान अथवा फल पौध पोषण प्रयोगशालाओं के प्रभारी/अधिकारियों से सम्पर्क स्थापित कर सकते हैं।

3. उद्यान प्रशिक्षण :

- क. बागवानों को विभिन्न बागवानी सम्बन्धित जानकारी प्रदान करने के उद्देश्य से जिला/ग्राम स्तर पर प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन किया जाता है। जिला स्तर पर प्रशिक्षण शिविरों में भाग लेने वाले बागवानों को 45.75 रुपये प्रतिदिन भत्ता प्रदान किया जाता है तथा 5/- रुपये विविध खर्च के लिये दिए जाते हैं। जिला स्तर के प्रशिक्षण शिविर की दो दिन की अवधि होती है। ग्राम स्तर पर प्रशिक्षण शिविर एक दिन की अवधि का होता है। इस प्रशिक्षण शिविर में 10/- रुपये प्रति बागवान चायपान के खर्च के लिये व्यय किए जाते हैं।
- ख. राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड द्वारा संचालित परियोजना के अन्तर्गत बागवानों को विकसित उद्यान क्षेत्रों, उद्यान अनुसन्धान केन्द्रों तथा औद्यानिकी फसलों के विपणन मण्डियों के अध्ययन हेतु 10 दिनों का अध्ययन प्रवास का प्रावधान है, जिसमें प्रति बागवान 1000/- रुपये व्यय किए जाते हैं।
- ग. मधुमक्खी पालन विषय पर तकनीकी जानकारी उपलब्ध करवाने हेतु उद्यान विभाग द्वारा सात दिवसीय मौनपालन प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया जाता है। प्रशिक्षण में भाग लेने वाले किसानों को 45.75 रुपये प्रतिदिन दैनिक भत्ता प्रदान किया जाता है। इसके अतिरिक्त 5.00 रुपये प्रति किसान की दर से विविध खर्च के लिए दिए जाते हैं।
- घ. खुम्ब उत्पादन में प्रशिक्षण प्रदेश के किसानों तथा बेरोजगार नवयुवकों को खुम्ब उत्पादन में प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु दस दिवसीय खुम्ब उत्पादन प्रशिक्षण शिविर का आयोजन खुम्ब परियोजना कण्डाघाट, सोलन, पालमपुर एवं बजौरा में किया जाता है। जिसमें खुम्ब उत्पादकों/उद्यमियों को खुम्ब उत्पादन की आधुनिक तकनीकियों में प्रशिक्षण दिया जाता है। इस प्रशिक्षण शिविर में भाग लेने वाले प्रशिक्षणार्थियों को 45.75 रुपये प्रतिदिन की दर से दैनिक भत्ता तथा 5/- रुपये विविध खर्च के लिए दिए जाते हैं।
- घ. पुष्प उत्पादन में प्रशिक्षण.-प्रदेश के किसानों को पुष्प उत्पादन सम्बन्धी तकनीकी जानकारी उपलब्ध करवाने हेतु विभिन्न क्षेत्रों में 4 दिवसीय पुष्प उत्पादन प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन किया जाता है। जिसमें भाग लेने वाले किसानों/बागवानों को 45.75 रुपये प्रतिदिन की दर से दैनिक भत्ता तथा 5 रुपये विविध खर्च के लिये दिए जाते हैं।
- च. घरेलू स्तर पर फल परिरक्षण में प्रशिक्षण.-घरेलू स्तर पर फल परिरक्षण शिविरों का आयोजन किया जाता है जिसमें बागवानों विशेषकर ग्रामीण महिलाओं, स्कूल की छात्राओं आदि को घरेलू स्तर पर दो दिवसीय फल परिरक्षण प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। प्रशिक्षण लेने वाले बागवान/महिलाओं को 45.75 रुपये प्रति बागवान तथा 5/- रुपये प्रति बागवान विविध व्यय के लिए दिए जाते हैं।
- छ. सेवा निवृत्त सैनिकों के लिये उद्यान प्रशिक्षण.-उद्यान विभाग सेवानिवृत्त सैनिकों को उद्यान सम्बन्धी प्रशिक्षण का आयोजन औद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय, सोलन की सहायता से करता है, ताकि उद्यान उद्योग को व्यवसाय के रूप में अपनाया जा सके। चयनित सेवानिवृत्त सैनिकों को औद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय में 30 दिन का प्रशिक्षण दिया जाता है, जिसमें प्रति प्रशिक्षणार्थी को 45.75 रुपये तथा 5/- रुपये विविध खर्च के लिये दिए जाते हैं।

4. उद्यान अभियान :

फल पौधों की कांट-छांट एवं उनके कीट/बीमारी के नियन्त्रण हेतु समय-समय पर अभियानों का आयोजन किया जाता है।

5. उद्यान सूचना सेवा :

- क. उद्यान विभाग द्वारा औद्यानिकी विषय के विभिन्न पहलुओं पर साहित्य का प्रकाशन किया जाता है, जिनमें से अधिकांश प्रकाशन बागवानों में निःशुल्क वितरित किया जाता है । जो बागवान विभिन्न तकनीकी प्रकाशन को प्राप्त करने के इच्छुक हों, वे उप-निदेशक उद्यान(सूचना), उद्यान विभाग, हिमाचल प्रदेश, शिमला-2 से सम्पर्क कर सम्बन्धित प्रकाशन प्राप्त कर सकते हैं ।
- ख. आकाशवाणी शिमला से कृषि जगत एवं अन्य कार्यक्रमों में विशेषज्ञों से विभिन्न कृषि विषयों पर वार्ताएं प्रसारित करवाई जाती हैं जिनमें से दिन-प्रतिदिन के उद्यान कार्यों के विषय में जानकारी उपलब्ध करवाई जाती है । बागवानों को सुझाव दिया जाता है कि वे औद्यानिकी विषयों पर तकनीकी जानकारी सुलभता से प्राप्त करने हेतु इन कार्यक्रमों को नियमित रूप से सुना करें ।
- ग. प्रदेश में आयोजित विभिन्न मेलों एवं अन्य अवसरों पर उद्यान प्रदर्शनियों का आयोजन किया जाता है, जिसके माध्यम से बागवानों को बागवानी की नवीनतम तकनीकी से अवगत कराया जाता है । औद्यानिकी विषयों पर विभाग द्वारा तकनीकी फिल्मों का निर्माण भी किया जाता है जिनका प्रदर्शन विभिन्न प्रदर्शनियों एवं प्रशिक्षण शिविरों के दौरान किया जाता है ।

3. फल विपणन कार्यक्रम

बागवानों को उनकी फल फसलों का उचित मूल्य सुनिश्चित करने हेतु उद्यान विभाग द्वारा निम्नलिखित सुविधाएं/सहायताएं प्रदान की जाती हैं :-

- क. देश की प्रमुख मण्डियों से फलों के बाजार भाव की सूचना एकत्रित करके उसे प्रतिदिन आकाशवाणी के कृषि जगत कार्यक्रम में प्रसारित किया जाता है जिसके आधार पर बागवान अपने फलों को विभिन्न मण्डियों में भेजने हेतु स्वयं निर्णय ले सकते हैं ।
- ख. फलों की वैज्ञानिक ढंग से तुड़ाई, वर्गीकरण करने तथा बक्सों में भराई के बारे में प्रशिक्षण दिए जाते हैं ।
- ग. फलों के परिवहन के लिये आवश्यक व्यवस्था की जाती है ।
- घ. बागवानों को उनकी उद्यान फसलों का उचित मूल्य प्रदान करने हेतु हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा सेब, आम एवं नीम्बू प्रजाति फलों हेतु मण्डी मध्यस्थता योजना कार्यान्वित की जाती है, जिसके अन्तर्गत मण्डी मध्यस्थ योजनाओं में फलों हेतु प्रापण दरें निर्धारित की जाती हैं ।
- घ. बागवानों को फलों की पैकिंग के लिये विभिन्न प्रकार के बक्सों को समुचित मात्रा में उचित दामों पर भी उपलब्ध करवाने हेतु उपदान दिया जाता है, जिसका विवरण इस प्रकाशन में अलग से दिया जा रहा है ।
- च. फलों के विपणन हेतु व्यवस्थित विपणन प्रणाली स्थापित करने के उद्देश्य से प्रदेश में विश्व बैंक की सहायता से एक वृहद् परियोजना का कार्यान्वयन किया गया है, जिसके अन्तर्गत फल उत्पादन क्षेत्रों में 11 आधुनिक पैकिंग एवं ग्रेडिंग गृह, छः शीत भण्डारों का निर्माण किया गया है जो कि एच0 पी0 एम0 सी0 द्वारा संचालित हैं । किसान इन आधुनिक संरचनाओं का उपयोग अपने फलों के विपणन हेतु करने के इच्छुक हों, वे एच0 पी0 एम0 सी0 के अपने निकटस्थ क्षेत्रीय कार्यालय से सम्पर्क स्थापित कर सकते हैं । इसके अतिरिक्त प्रदेश सरकार ने बागवानों/किसानों की सुविधा हेतु दिल्ली में एक किसान भवन का निर्माण किया है जिसकी सुविधाएँ प्राप्त करने के लिये बागवान सचिव, हि0 प्र0 कृषि विपणन बोर्ड, विपणन भवन खलीनी, शिमला-2 से सम्पर्क कर सकते हैं ।

4. उद्यान ऋण सुविधाएं

चूंकि उद्यान विकास कार्यक्रमों के कार्यान्वयन हेतु काफी पूंजी निवेश की आवश्यकता होती है, अतः उद्यान विभाग द्वारा राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) के सहयोग से विभिन्न फल फसलों के लिये ऋण योजनाएं तैयार की गई हैं, जिनके अन्तर्गत नाबार्ड की पुनर्वित्त सहायता से सहकारी/व्यवसायिक बैंकों के माध्यम से बागवानों को ऋण सुविधा उपलब्ध करवाता है ।

इन ऋण योजनाओं का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार से है :-

| क्र० सं० | योजना का नाम | इकाई | ऋण की राशि (रुपये) | अदायगी की अवधि (वर्ष) |
|----------|---|--------------|----------------------------|----------------------------|
| 1. | सेब (मानक) बागीचों की स्थापना | एक एकड़ | 48,000 | 12-15 वर्ष |
| 2. | सेब (सघन) बागीचों की स्थापना | एक एकड़ | 48,720 | 12-15 वर्ष |
| 3. | नीम्बू प्रजाति के फल बागीचों की स्थापना | प्रति एकड़ | 33,600 | 10-15 वर्ष |
| 4. | आम/लीची के उद्यानों की स्थापना | प्रति एकड़ | 24,000 | 12-15 वर्ष |
| 5. | गुठली वाले फलों के उद्यानों की स्थापना | प्रति एकड़ | 36,500 | 12-15 वर्ष |
| 6. | कीवि फल के उद्यानों की स्थापना | प्रति बीघा | 40,800 | 7 वर्ष |
| 7. | फल पौधशालाओं की स्थापना : क. सेब की फल पौधशाला ख. गुठली वाले फलों की फल पौधशाला ग. नीम्बू प्रजाति के फलों की फल पौधशाला | एकड़ एकड़ | 12,690 13,275 15,165 | 4 वर्ष 4 वर्ष 4 वर्ष |

| क्र० सं० | योजना का नाम | इकाई | ऋण की राशि (रुपये) | अदायगी की अवधि (वर्ष) |
|----------|-------------------------------------|--|------------------------------|--------------------------|
| 8. | टैंक सिंचाई | | | |
| | 1. वाटर हार्वेस्टिंग टैंक । | (8x2x2) मी० | 43,200 | 10 वर्ष |
| | 2. वाटर हार्वेस्टिंग टैंक । | (2x1.5x4) मी० | 30,000 | 10 वर्ष |
| | 3. वाटर हार्वेस्टिंग टैंक । | (4x2.5x1.5) मी० | 33,600 | 10 वर्ष |
| | 4. वाटर हार्वेस्टिंग टैंक । | (5x2.5x1.5) मी० | 38,400 | 10 वर्ष |
| 9. | स्प्रिंकलर सिस्टम की स्थापना | माडल-I, 6 है० माडल-II, 2 है० | 30,600 33,840 | 10-15 वर्ष 11-15 वर्ष |
| 10. | टपक सिंचाई हेतु ऋण | | | |
| | क. सेब | 1.0 है० | 60,240, | 10-15 वर्ष |
| | ख. पलम | 1.0 है० | 61,200 | 10-15 वर्ष |
| | ग. खुमानी | 1.0 है० | 43,200 | 10-15 वर्ष |
| | घ. किन्नू | 1.0 है० | 67,200 | 10-15 वर्ष |
| | घ आम/लीची | 1.0 है० | 56,400 | 10-15 वर्ष |
| | च. अंगूर | 1.0 है० | 51,600 | 10-15 वर्ष |
| 11. | फसलोत्तर प्रबन्ध हेतु | 1.ग्रेडिंग व पैकेजिंग गृह निर्माण 2.प्री कूलिंग सिस्टम 3.अन्य औजार | 1,83,600 12,000 14,400 | |
| 12. | मौनपालन हेतु ऋण सुविधाएं | | | |
| क्र. सं. | मधुमक्खियों की जाति | इकाई | ऋण की सीमा | ऋण वापिस |
| 1. | इटालियन मधुमक्खी | 10 कोलोनी | 16200 | 5 वर्ष |
| 2. | इटालियन मधुमक्खी | 30 कोलोनी | 91440 | 5 वर्ष |
| 3. | भारतीय मधुमक्खी | 30 कोलोनी | 66600 | 5 वर्ष |

13. खुम्ब उत्पादन हेतु ऋण सुविधाएं :

| खुम्ब उत्पादन इकाई की क्षमता | ऋण की सीमा (रुपये) | ऋण वापिस करने की अवधि |
|------------------------------|--------------------|-----------------------|
| 50 ट्रे | 18000 | 7 वर्ष |
| 100 ट्रे | 36000 | 7 वर्ष |
| 200 ट्रे | 54000 | 7 वर्ष |

लघु अवधि के ऋण :

हिमाचल प्रदेश सहकारी बैंक एवं सहकारी समितियों द्वारा विभिन्न फल फसलों के उत्पादन में होने वाले आवर्ती व्यय की आपूर्ति हेतु

लघु अवधि के उद्यान ऋण भी प्रदान किए जाते हैं । इन लघु अवधि के उत्पादन ऋणों की मात्रा प्रत्येक वर्ष निर्धारित की जाती है । विभिन्न

फल फसलों के लिए निर्धारित उत्पादन ऋणों की मात्रा इस प्रकार से है :-

| क्र० सं० | फल का नाम | ऋण की मात्रा (रुपये प्रति एकड़) | | |
|----------|----------------------|------------------------------------|---------------------------|-------|
| | | नकद राशि | उद्यान सामग्री के रूप में | कुल |
| 1. | सेब | 5809 | 7145 | 12954 |
| 2. | गुठली वाले फल | 3450 | 5150 | 8600 |
| 3. | नीम्बू प्रजाति के फल | 4050 | 4850 | 8900 |
| 4. | आम | 3450 | 4700 | 8150 |
| 5. | अंगूर | 2150 | 3500 | 5650 |

5. फल परिरक्षण

ताजी अवस्था में फलों के विपणन हेतु अनुपयुक्त फलों का उपयोग केवल फल परिरक्षण द्वारा ही हो सकता है । इस कार्य हेतु उद्यान विभाग हिमाचल प्रदेश निम्नलिखित सुविधायें प्रदान करता है :-

क. फल विधायन सेवा :

उद्यान विभाग द्वारा प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में नौ फल विधायन केन्द्र खोले गये हैं जो कि शिमला (नवबहार) कुल्लू (शमशी), किन्नौर (रिकांगपिओ), सिरमौर (राजगढ़), धैलाकुआं, चम्बा (राजपुरा) तथा विलासपुर जिलों में स्थित हैं । इसके अतिरिक्त परवाणु जिला सोलन, जड़ोल जिला मण्डी, जाबली जिला सोलन में एच० पी० एम० सी० के अन्तर्गत तथा गगरेट जिला ऊना में निजी क्षेत्रों में बड़ी विधायन इकाइयां स्थापित हुई हैं । इनके अतिरिक्त नादौन व टौणी देवी जिला हमीरपुर, नूरपुर व देहरा जिला कांगड़ा तथा किन्नू जिला ऊना में पांच सामुदायिक फल विधायन एवं प्रशिक्षण केन्द्र खोले गये हैं । साथ ही निजी एवं सहकारी क्षेत्रों में कई छोटी विधायन इकाइयां भी कार्यरत हैं । अतः प्रदेश के बागवान अपने क्षेत्रों में स्थापित विभिन्न फल विधायन इकाइयों में अपना फल बेचकर उचित मूल्य प्राप्त कर सकते हैं । बागवानों को उनके फलों का उचित मूल्य दिलाने हेतु प्रदेश सरकार समय-समय पर विधायन योग्य फलों का मूल्य प्राप्त कर सकते हैं । बागवानों को उनके फलों का उचित मूल्य दिलाने हेतु प्रदेश सरकार समय-समय पर विधायन योग्य फलों का मूल्य भी निर्धारित करती है ।

ख. सामुदायिक विधायन सेवा :

यदि बागवान अपने विपणन के अनुपयुक्त फलों से अपने उपयोग हेतु फल पदार्थ बनाना चाहते हों, तो उसके लिये उद्यान विभाग के विधायन केन्द्रों में सामुदायिक विधायन सेवा भी प्रदान की जाती है । यहां पर बागवान अपने फल एवं अन्य आवश्यक सामग्री उपलब्ध करवा कर उचित मूल्य पर अपने उपयोग हेतु फल पदार्थ तैयार करवा सकते हैं ।

ग. घरेलू स्तर पर फल परिरक्षण में प्रशिक्षण :

घरेलू स्तर पर फल परिरक्षण के लिये विभागीय कार्यकर्ताओं द्वारा समय-समय पर फल उत्पादन क्षेत्रों में फल परिरक्षण शिविरों का आयोजन किया जाता है, जिसमें बागवानों को विशेषकर ग्रामीण महिलाओं, स्कूल की छात्राओं आदि को घरेलू स्तर पर फल परिरक्षण प्रशिक्षण दिया जाता है, ताकि वे अपने बागीचों में उपलब्ध विधायन योग्य फलों का घरेलू स्तर पर विधायन द्वारा उपयोग कर सकें । यदि कोई महिला मण्डल, संस्था अथवा बागवानों की संस्था अपने क्षेत्रों में फल परिरक्षण शिविर आयोजित करने की इच्छुक हों तो वे अपने निकटस्थ विभागीय फल विधायन केन्द्र अपने जिला के उप-निदेशक उद्यान अथवा फल प्रौद्योगविज्ञ से सम्पर्क स्थापित कर सकते हैं ।

घ. फलों के रस के विपणन हेतु सुविधा :

राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड, भारत सरकार द्वारा प्रायोजित एक परियोजना के अन्तर्गत उद्यमियों को फलों के रस के विपणन हेतु फल रस डिस्पेंसर स्थापित करने हेतु वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाई जाती है जिसकी सीमा 25,000 रुपये अथवा मशीन की कीमत जो भी कम हो, के बराबर है। इस राशि को 25 प्रतिशत अनुदान तथा शेष 75 प्रतिशत ऋण के रूप में उपलब्ध कराया जाता है, जिस पर 9 प्रतिशत ब्याज देय होता है तथा कुल ऋण की अदायगी ऋण प्राप्त करने से एक वर्ष पश्चात् चार बराबर किश्तों में करनी होती है। यदि कोई उद्यमी अपने क्षेत्र में फल रस की विक्री हेतु फल रस डिस्पेंसर मशीन लगाने का इच्छुक हो तो वह अपने निकटस्थ फल विधयन केन्द्र के प्रभारी, फल प्रौद्योगिकि, अथवा निदेशक, उद्यान विभाग, हिमाचल प्रदेश, शिमला-2 से सम्पर्क स्थापित कर सकता है।

6. एकीकृत उद्यान विकास के लिये टैक्नोलोजी मिशन

एकीकृत उद्यान विकास के लिये भारत सरकार द्वारा अक्टूबर, 2003 में हिमाचल प्रदेश को 80 करोड़ रुपये का हार्टिकल्चर टैक्नोलोजी मिशन दिया। जिसके अन्तर्गत चार मिनीमिशन के माध्यम से सहायता प्रदान की जाती है।

1. मिनीमिशन-1 अनुसन्धान एवं विकास हेतु
2. मिनीमिशन-2 उत्पादन तथा उत्पादकता को बढ़ाना
3. मिनीमिशन-3 फसलोत्तर प्रबन्धन, विपणन एवं निर्यात
4. मिनीमिशन-4 विधायन

यद्यपि विभाग द्वारा सभी मिनीमिशन कार्यान्वित किए जा रहे हैं परन्तु मिनीमिशन-2 के कार्यान्वयन के लिये सीधे रूप से जिम्मेवार है।

टैक्नोलोजी मिशन के मिनीमिशन 2 के अन्तर्गत सहायता :

1. क्षेत्र विस्तार.-सेब (स्पर, रंगीन प्रजातियां तथा विधायन प्रजातियां), नाशपाती (रंगीन प्रजातियां), प्लम (नई सिफारिश की गई प्रजातियां) आड़ू, नैक्ट्रीन, खुमानी, प्रनूस, चैरी, अनार, हैजलनट, अखरोट, पीकानट, आंवला, आम, लीची, किवी, बेर, अमरूद, नीम्बू प्रजाति फल, सब्जियां, जड़ व कन्द वाली सब्जियां, विदेशी सब्जियां, शंकर सब्जियां, मसाले, हर्बल/जड़ी-बूटियां एवं सुगन्धित पौधों वाली फसलों इस कार्यक्रम में सम्मिलित हैं।

अनुदान लागत का 50 प्रतिशत अधिकतम सीमा 13,000/- रुपये प्रति है0 फलों व सब्जियों के लिये, मसालों तथा हर्बल/जड़ी-बूटियों हेतु 50 प्रतिशत अधिकतम सीमा 5000/- रुपये प्रति हैक्टेयर है। फूलों की खेती के लिये 0.2 हैक्टेयर यूनिट के लिये रुपये 13,000/- सहायता उपलब्ध है। इस योजना के अन्तर्गत किसान फल पौधों/बीज लेने हेतु, खेत बनवाने हेतु, गड्डे खोदने हेतु, बागीचों की रूप-रेखा तैयार करने, बाड़ लगवाने, प्लास्टिक का टैंक खरीदने, पुराना बागीचा उखाड़ने हेतु, खाद तथा दवाइयां खरीदने हेतु, फल पौध सामग्री तथा अन्य सामग्री 13,000/- रुपये की कुल सहायता के अन्दर खरीद सकता है।

2. जल स्रोतों का सृजन.-हिमाचल प्रदेश का 16.75 प्रतिशत कृषि योग्य क्षेत्र सिंचित है एवं अन्य क्षेत्र बरानी है। प्रति इकाई अधिक उत्पादन हेतु यह एक बाधा है। अतः यह आवश्यक है कि पानी संग्रह हेतु स्रोतों का सृजन किया जाये।

- ◆ 1 हैक्टेयर क्षेत्र की सिंचाई हेतु 300 घनमीटर का टैंक बनाने हेतु 1.0 लाख रुपये प्रति हैक्टेयर की सहायता उपलब्ध है जिसकी अधिकतम सीमा 10.0 लाख रुपये प्रति 10 हैक्टेयर क्षेत्र सिंचाई हेतु है।
- ◆ ट्यूबवैल हेतु लागत का 50 प्रतिशत जिसकी अधिकतम सीमा 12,500/- रुपये प्रति ट्यूबवैल है। इस योजना के अन्तर्गत सामूहिक टैंक या एक गांव/खण्ड के 4-5 किसान छोटे टैंक (न्यूनतम 50 घनमीटर की क्षमता) के भी बना सकते हैं तथा सहायतानुदान बनाए गए टैंक की क्षमता के हिसाब से किसानों को दिया जायेगा।

3. **जल प्रबन्धन हेतु.**-मिशन के अन्तर्गत सृजित किए गए जल स्रोतों के दोहन हेतु यह आवश्यक है कि इस जल का बागवानी फसलों में उत्पादकता बढ़ाने हेतु सदुपयोग टपक सिंचाई/फब्वारा सिंचाई के माध्यम से किया जाये ।

- ◆ टपक सिंचाई हेतु 50 प्रतिशत अनुदान अधिकतम सीमा 28,500/- रुपये प्रति हैक्टेयर ।
- ◆ फब्वारा सिंचाई हेतु 50 प्रतिशत अनुदान अधिकतम सीमा 15,000/- रुपये प्रति हैक्टेयर ।
- ◆ प्लास्टिक मल्व हेतु लागत का 50 प्रतिशत अधिकतम सीमा 7000/- रुपये प्रति हैक्टेयर ।
- ◆ हरितगृह हेतु लागत का 40 प्रतिशत 200/- रुपये प्रति वर्गमीटर की दर से या 40,000/- रुपये जो भी कम हो । यह सीमा अधिकतम 500 वर्गमीटर तक के लिये है । 500 वर्गमीटर उच्चतकनीक(हाईटेक) हरितगृह, फूलों की खेती के लिये बनाने हेतु 1.50 लाख रुपये का सहायतानुदान उपलब्ध है ।
- ◆ शैड नैट हेतु लागत का 50 प्रतिशत या रुपये 14/- प्रति वर्गमीटर जो भी कम हो जिसकी अधिकतम सीमा 500 वर्गमीटर है ।
- ◆ ओला अवरोधक जालियां हेतु लागत का 50 प्रतिशत या 500/- रुपये प्रति पौध सीमा 25000 रुपया प्रति बागवान ।
- ◆ पक्षी अवरोधक जाली हेतु लागत का 50 प्रतिशत या 2000/- रुपये प्रति हैक्टेयर ।

4. **आनफार्म हैण्डलिंग यूनिट.**- बागीचों में फलों के भण्डारण एवं उनके छंटाई एवं वर्गीकरण हेतु सुविधा उपलब्ध करवाने हेतु आवश्यक है कि बागवानों के फार्म में पैकिंग हाऊस/ग्रेडिंग हाऊस/ग्रेडिंग लाईन सुविधा उपलब्ध करवाई जाये । प्रदेश में इस प्रकार की इकाइयों को स्थापित करने हेतु कुल लागत का 30 प्रतिशत अधिकतम सीमा 50,000/- रुपये प्रति लाभार्थी सहायतानुदान उपलब्ध है ।

5. **रोपण सामग्री का उत्पादन.**- रोपण सामग्री बागवानी पौधरोपण में एक आवश्यक निवेश है । रोपण सामग्री उत्पादन हेतु विशेष ध्यान देना होगा ताकि उच्चगुणवत्ता वाला रोपण सामग्री बागवानों में वितरित की जा सके । मिशन के अन्तर्गत एकीकृत बहुशस्य पौधशाला और संतति और हर्बलगार्डन पब्लिक और निजी क्षेत्रा में टिशू कल्चर (उत्ती सम्बर्धन) इकाइयां भी स्थापित करने का प्रावधान है ।

- ◆ एकीकृत बहुशस्य पौधशाला : बड़ी पौधशाला के लिये लागत का 50 प्रतिशत अधिकतम सीमा 8.0 लाख रुपये (निजी क्षेत्रों में) तथा 18 लाख (पब्लिक क्षेत्रों में) तथा लघु पौधशाला हेतु अधिकतम सीमा 3.0 लाख रुपये है ।
- ◆ हर्बल गार्डन के लिये लागत का 50 प्रतिशत जिसकी अधिकतम सीमा 1.50 लाख रुपये है ।
- ◆ टिशू कल्चर हेतु लागत का 50 प्रतिशत अधिकतम सीमा 10.0 लाख रुपये निजी क्षेत्रा में तथा 20 लाख रुपये पब्लिक सैक्टर में ।

6. **तकनीकी हस्तान्तरण.**-विभागीय स्टाफ की तकनीकी दक्षता को बढ़ाने हेतु ताकि वे बागवानों को आधुनिक तकनीक की जानकारी दे सकें यह आवश्यक है कि तकनीकी स्टाफ को प्रशिक्षण दिया जा सके । तकनीकी मिशन के अन्तर्गत प्रदर्शनियां, फ्रूट शो, पब्लिसिटी एवं बागवानों के प्रदेश से बाहर एवं भीतर भ्रमण की अति आवश्यकता है । सहायतायें इस प्रकार हैं ।

- ◆ सात दिवसीय कृषक प्रशिक्षण हेतु 1500 रुपये प्रति बागवान ।
- ◆ प्रदेश से बाहर सात दिवसीय कृषक प्रशिक्षण हेतु 2500/- रुपये प्रति किसान/बागवान ।
- ◆ प्रशिक्षकों को प्रशिक्षण हेतु वास्तविक व्यय अधिकतम सीमा 50,000/- प्रति प्रशिक्षणार्थी ।

7. **जैविक खेती और जैव उर्वरक उपयोग को बढ़ावा.**- वर्तमान कृषि उत्पादन में जैविक खेती की बहुत आवश्यकता है ताकि रासायनिक उर्वरकों एवं कीटनाशकों के उपयोग को कम किया जा सके । अधिक रासायनिक उर्वरकों के उपयोग से मिट्टी ने उसके अनुरूप उत्पादन देना बन्द कर दिया है । इसलिये जैव कृषि, बर्मीकम्पोस्ट का तैयार किया जाना और जैव उर्वरकों का उपयोग आवश्यक हो गया है । क्षेत्र को जैव कृषि के अन्तर्गत लाने के लिए बर्मीकल्चर इकाइयों की स्थापना के लिये और किसानों के एक समूह को अपने जैव उत्पाद के प्रमाणीकरण हेतु सहायता उपलब्ध है । सहायताएं इस प्रकार हैं ।

- ◆ जैविक कृषि को अपनाने हेतु 10,000/- रुपये प्रति हैक्टेयर ।
- ◆ जैव उत्पाद प्रमाणीकरण हेतु व्यय का 90 प्रतिशत या 5.0 लाख रुपये प्रति वर्ष ।
- ◆ बर्मीकम्पोस्ट यूनिट की स्थापना हेतु 30,000/- रुपये प्रति इकाई ।

8. **कृषि उपकरणों को प्रोत्साहन एवं लोकप्रिय बनाना.**-बागवानी के उच्चतम प्रबन्धन हेतु यह आवश्यक है बागवानी कार्यों के लिये अच्छे औजार एवं यन्त्र हो ताकि बागवानी कार्यों में क्षमता बढ़े और समय की बचत की जा सके । अतः यह प्रस्तावित है कि बागवानों को हस्तचालित एवं शक्ति चालित यन्त्र जैसे पावर टिल्लर, डीजल ईजन इत्यादि दिए जाएं । सहायताएं निम्न प्रकार हैं ।

- ◆ बागवान प्रशिक्षण हेतु 1000/- प्रति बागवान ।
- ◆ हस्तचालित उपकरणों हेतु 1500/- रुपये प्रति बागवान ।
- ◆ शक्तिचालित उपकरणों हेतु 5000/- रुपये प्रति बागवान ।
- ◆ पावर टिल्लर हेतु 45,000/- रुपये प्रति बागवान ।
- ◆ डीजल ईंजन हेतु 9000/- रुपये प्रति बागवान ।

9. **एकीकृत कीट प्रबन्धन हेतु प्रोत्साहन.**-कीटनाशकों के अन्धाधुन्ध उपयोग से मानव सेहत को खतरा बढ़ गया है अतः यह आवश्यक हो गया है कि एकीकृत कीट प्रबन्धन को अपनाया जाये । अतः यह प्रस्तावित है कि 500 हैक्टेयर क्षेत्रों में जैव कीटनाशकों के अन्तर्गत लाया जाए ताकि कीटों के सम्भावित प्रकोप का पता चल सके । सहायताएं इस प्रकार हैं ।

- ◆ 1000/- रुपये प्रति हैक्टेयर की दर से एकीकृत कीट प्रबन्धन अपनाने हेतु प्रति बागवान ।
- ◆ निजी क्षेत्र में जीव नियन्त्रण प्रयोगशाला स्थापना हेतु 40.0 लाख रुपये प्रति इकाई 50 प्रतिशत अनुदान के अन्तर्गत ।
- ◆ कीट व रोगों के पूर्वसचेत केन्द्र स्थापना हेतु 4.0 लाख रुपये प्रति इकाई ।

10. **प्लांट हेल्थ क्लीनिक की स्थापना.**-कृषि एवं बागवानी में बेरोजगार कृषि स्नातकों को आकर्षित करने हेतु निजी क्षेत्र में प्लांट हेल्थ क्लीनिक केन्द्र स्थापित करने के लिये सहायताएं इस प्रकार हैं ।

- ◆ निजी क्षेत्र में 5 लाख रुपये प्रति इकाई ।

11. **पत्ती विश्लेषण प्रयोगशालाओं की स्थापना :**

- ◆ निजी क्षेत्र में 5.00 लाख रुपये प्रति प्रयोगशाला 100 प्रतिशत अनुदान पर ।

12. **मौनपालन विकास.-**

मौनपालन का परंपरागत, मधु उत्पादन एवं मोम उत्पादन में बहुत बड़ा योगदान है । शहद उत्पादन हेतु मौन वंशों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना होता है । मौन प्रजनन को भी ध्यान में रखना होगा ताकि मौनपालकों को अच्छी गुणवत्ता वाले मौनवंश उपलब्ध करवाए जा सकें । सहायताएं इस प्रकार हैं ।

- ◆ लागत का 50 प्रतिशत या 250/- रुपये प्रति मौनवंश और लागत का 50 प्रतिशत या 350/- रुपये प्रति मौनगृह/सामग्री ।

13. **महिला कृषक का उद्यमी विकास.-**

हिमाचल प्रदेश में ग्रामीण महिलाएं बागवानी कार्यों में पूरी तरह शामिल हैं इसलिये यह आवश्यक है कि इन महिलाओं को स्वयं सहायता समूह बनाकर इकट्ठा किया जाये और उन्हें प्रशिक्षण दिया जाये । इस मद के अन्तर्गत महिलाओं को प्रशिक्षित किया जायेगा एवं स्वयं सहायता समूह बनाए जायेंगे । सहायताएं इस प्रकार हैं ।

- ◆ प्रति जिला बेसलाइन सर्वेक्षण हेतु 10,000/- रुपये ।
- ◆ पाठ्यक्रम विकास हेतु प्रति जिला 20,000/- रुपये ।
- ◆ फैसिलिटेटरस को रिफरेंशर, प्रशिक्षण हेतु 10,000/- रुपये ।
- ◆ 1000/- रुपये प्रति महिला 5 दिवसीय प्रशिक्षण हेतु 5000/- रुपये स्वयं सहायता समूह हेतु ।

7. फलों की पैकिंग सामग्री पर उपदान

उद्यान विभाग द्वारा प्रदेश में उत्पादित फलों की पैकिंग सामग्री सुलभ एवं उचित दामों पर उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से निम्नलिखित प्रोत्साहन दिए जाते हैं ।

क. कौरुगेटिड फाईबर बोर्ड कार्टनों पर उपदान :

फलों की पैकिंग में एपिल द्वारा निर्मित कौरुगेटिड फाईबर बोर्ड कार्टनों के उपयोग को प्रोत्साहित करने हेतु 20 किलो क्षमता वाले कार्टनों पर 8 रुपये प्रति कार्टन की दर से उपदान दिया जाता है तथा प्रति बागवान जिसका बागीचा 10 बीघा तक है उन्हें 1200 कार्टन पर अधिकतम उपदान 9,600/- रुपये निर्धारित है ।

ख. सफेदे एवं पापुलर की लकड़ी के प्रदेश के बाहर से आयात पर परिवहन उपदान :

फलों की पैकिंग हेतु पड़ोसी राज्यों से सफेदे तथा पापुलर की लकड़ी के बक्से तथा लकड़ी आयात हेतु परिवहन उपदान दिया जाता है, जिसकी

उपदान सीमा इस प्रकार है :

| क्र. सं. | जिले का नाम | विवरण | उपदान दर (रु0) | उपदान की अधिकतम सीमा प्रति ट्रक (रु0) |
|----------|---|--|-------------------------|---------------------------------------|
| 1. | सोलन, सिरमौर, ऊना, विलासपुर, कांगड़ा एवं हमीरपुर | 1. (प) 20 कि. ग्रा. क्षमता वाला बक्सा (पप) हाफ बक्सा | 0.50 रुपये प्रति बक्सा | 500/- |
| | | 2. लकड़ी के गेल्टु | 0.25 रु0 प्रति बक्सा | 500/- |
| | | | 5.00 रु0 प्रति क्विंटल | 500/- |
| 2. | शिमला, कुल्लू, मण्डी, किन्नौर, लाहौल स्पिति एवं चम्बा | 1. (प) 20 कि. ग्रा. क्षमता वाला बक्सा (पप) हाफ बक्सा | 1 रु0 प्रति बक्सा | 1,000/- |
| | | 2. लकड़ी के गेल्टु | 0.50 रु0 प्रति बक्सा | 1,000/- |
| | | | 10.00 रु0 प्रति क्विंटल | 1,000/- |

ग. प्लास्टिक क्रेट्स ग्रेडिंग टोकरी एवं किल्टा :

बागवानी फसलों के भण्डारण, पैकिंग तथा स्थानीय परिवहन के लिये प्लास्टिक क्रेट्स, ग्रेडिंग टोकरी व किल्टा का बहुत महत्व है । राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड भारत सरकार द्वारा संचालित फसलोत्तर प्रबन्धन योजनाओं के अन्तर्गत बागवानों, बागवानों की सहकारी समितियों, संस्थाओं तथा बागवानी से सम्बन्धित निगमों को प्लास्टिक क्रेट्स, टोकरी एवं किल्टे पर कुल बेसिक कीमत का 50 प्रतिशत उपदान उपलब्ध है ।

8. उद्यानों की स्थापना

क. किसानों को व्यक्तिगत उद्यान स्थापना हेतु प्रोत्साहन :

समाज के कमजोर वर्ग के किसानों को व्यक्तिगत उद्यानों की स्थापना में होने वाले आवश्यक व्यय जैसे कि बाड़ लगाना, सिंचाई व्यवस्था स्थापित करना, उद्यान सामग्री जैसे कि फल पौध, पौध संरक्षण सामग्री, सूक्ष्म तत्व, पौध संरक्षण उपकरण, उद्यान उपकरण आदि के क्रय हेतु उपदान उपलब्ध करवाया जाता है जो कि लघु किसानों के लिये 25 प्रतिशत, सीमान्त किसानों के लिये 33 प्रतिशत, अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े क्षेत्रा एवं आई0 आर0 डी0 पी0 के अन्तर्गत चयनित किसान परिवारों के लिये 50 प्रतिशत की दर से उपलब्ध है । उपदान की अधिकतम सीमा 3,000 रुपये प्रति व्यक्ति है ।

ख. गार्डन कालोनी की स्थापना :

हिमाचल प्रदेश में अधिकांश जोतें छोटी होने के कारण छोटे एवं सीमान्त किसान उद्यान विकास कार्यक्रमों में भाग लेने में असमर्थ होते हैं, क्योंकि वे मुख्य पूंजीगत कार्य जैसे बाड़ लगाना, सिंचाई व्यवस्था स्थापित करना, पौध संरक्षण उपकरणों की खरीद आदि पर निवेश नहीं

कर पाते, जिस कारण वे बागवानी, व्यवसाय में अक्सर असफल रहते हैं। ऐसी छोटी जोतों वाले किसानों को बागवानी व्यवसाय में सम्मिलित करने हेतु 'गार्डन कालोनी' नामक परियोजना कार्यान्वित की जा रही है। इस परियोजना के अन्तर्गत 'गार्डन कालोनी' की परिभाषा ऐसा 'उद्यान कुन्ज' है जिसे कि कम से कम छः किसानों द्वारा दो हैक्टेयर क्षेत्रफल में एक सघन उद्यान क्षेत्रा के रूप में सामूहिक बाड़ के अन्तर्गत स्थापित किया गया हो तथा सहयोगी किसान सारे क्षेत्र के लिये सामूहिक सिंचाई व्यवस्था एवं पौध संरक्षण उपकरण प्राप्त कर उद्यान विकास हेतु उपयोग करें। इस स्कीम के अन्तर्गत उद्यान कुन्ज की स्थापना हेतु होने वाले अनावर्ती व्यय जैसे कि बाड़ लगाना, सिंचाई व्यवस्था स्थापित करना तथा पौध संरक्षण उपकरणों की आपूर्ति पर लघु एवं सीमान्त किसानों को 50 प्रतिशत तथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े क्षेत्र तथा आई0 आर0 डी0 पी0 कार्यक्रम के अन्तर्गत चयनित किसानों को 75 प्रतिशत उपदान दिया जाता है। इसके अतिरिक्त उद्यान कुन्ज की स्थापना हेतु विभिन्न आवर्ती व्ययों जैसे कि पौध सामग्री, पौध संरक्षण दवाईयां, सूक्ष्म तत्व आदि पर लघु किसानों को 25 प्रतिशत, सीमान्त किसानों को 33 प्रतिशत तथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े क्षेत्रों तथा आई0 आर0 डी0 पी0 परिवारों से सम्बन्ध रखने वाले बागवानों को 50 प्रतिशत का उपदान दिया जाता है। प्रति दो हैक्टेयर कालोनी के लिये उपदान की अधिकतम सीमा 18,000/- रुपये है।

ग. पौध संरक्षण दवाईयों पर उपदान :

फल पौधों की उत्पादकता बढ़ाने हेतु फलोद्यानों में पौध संरक्षण कार्यों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा विभिन्न कीटनाशक एवं फफूंदनाशक दवाईयां किसानों को उपदान पर उपलब्ध करवाई जाती हैं, जिसका विवरण इस प्रकार है :

| फल का नाम | पौध संरक्षण दवाईयां, जिन पर उपदान उपलब्ध है | उपदान दर |
|-----------|--|--|
| 1. सेब | सेब के स्कैब रोग की रोकथाम/उपचार हेतु अनुमोदित फफूंदनाशक दवाएं। | 1. छोटे किसानों को 50 प्रतिशत (स्थिर उपदान) 2. बड़े किसानों को 30 प्रतिशत (स्थिर उपदान) |
| 2. सेब | सेब के कैंकर रोग व माईट पेस्ट की रोकथाम/उपचार हेतु अनुमोदित नाश कीटमार। | -यथोपरि- |
| 3. आम | आम, लीची, आड़ू, प्लम, बादाम तथा नीम्बू प्रजातीय फलों के मुख्य कीटों एवं बीमारियों की रोकथाम/उपचार हेतु अनुमोदित कीटनाशक एवं फफूंदनाशक दवाएं। | -यथोपरि- |

जो बागवान फलों के कीटों तथा बीमारियों की रोकथाम हेतु कीटनाशक एवं फफूंदनाशक दवाईयां उपदान पर प्राप्त करने के इच्छुक हों, उन्हें चाहिए कि वे अपने निकटस्थ पौध संरक्षण दवाई वितरण केन्द्रों अथवा विकास खण्ड में नियुक्त उद्यान विकास अधिकारी से सम्पर्क करके अपना उद्यान कार्ड बनवा लें, जिसके आधार पर ही उन्हें ऐसी दवाईयां मिल सकती हैं।

9. पुष्प उत्पादन कार्यक्रम

हिमाचल प्रदेश में पुष्प उत्पादन की अपार सम्भावनाएं हैं। विभिन्न कृषि जलवायु की उपलब्धता के कारण यहां केवल लगभग सभी प्रकार के पुष्प सारे वर्ष उत्पादित किए जा सकते हैं अपितु प्रदेश के किसान बे-मौसमी पुष्प उत्पादित कर अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। उद्यान विभाग, हिमाचल प्रदेश द्वारा प्रदेश में पुष्प उत्पादन हेतु कई सुविधाएं एवं प्रोत्साहन दिए जा रहे हैं, जिनका विवरण इस प्रकार से हैं :-

1. पुष्प उत्पादन में प्रशिक्षण :

किसानों को पुष्प उत्पादन से सम्बन्धित तकनीकी जानकारी उपलब्ध करवाने हेतु प्रति वर्ष विभिन्न क्षेत्रों में पुष्प उत्पादन प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन किया जाता है, जिसमें किसानों को पुष्प उत्पादन का व्यवहारिक प्रशिक्षण दिया जाता है ।

2. पुष्प सामग्री की आपूर्ति :

उद्यान विभाग पुष्प उत्पादन में प्रयुक्त होने वाली आवश्यक पुष्प सामग्री को पुष्प उत्पादकों को आपूर्ति करवाने का प्रबन्ध करता है । इस कार्य हेतु उद्यान विभाग द्वारा शिमला, छराबड़ा ;जिला शिमला भट्टू (जिला कांगड़ा), बजौरा (जिला कुल्लू), महोगबाग चायल (जिला सोलन), परवाणु (जिला सोलन) तथा निहाल (जिला बिलासपुर) में पुष्प पौधालाओं की स्थापना की गई है । यहां पर उत्तम प्रजाति के पुष्प पौधों का उत्पादन कर किसानों को वितरित किया जाता है । इसके अतिरिक्त व्यवसायिक पुष्प उत्पादन के लिए आवश्यक उत्तम बीज तथा पौध सामग्री का भी देश के अन्य भागों अथवा विदेशों से आयात कर प्रबन्ध किया जाता है जिसके लिये इच्छुक उत्पादकों को चाहिए कि वे अपनी मांग सहायक पुष्प विज्ञ उद्यान विभाग, हिमाचल प्रदेश, शिमला-2 को भेजें ।

3. पुष्प उत्पादन हेतु ऋण सुविधाएं :

राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) द्वारा पुष्प विकास के लिये प्रदेश में ग्लेडियोलस, लिलियम व कारनेशन (हरित गृह में) की काश्त हेतु ऋण परियोजना स्वीकृत की गई है जो कि विभिन्न सहकारी/व्यवसायिक बैंकों के माध्यम से कार्यान्वित हो रही है । इस ऋण की सीमा ग्लेडियोलस के लिये 96480/- प्रति बीघा, लिलियम के लिये 301800 (ओरिएण्टल), 211800 (एशियाटिक) प्रति बीघा व कारनेशन (हरित गृह में) के लिये 719700 प्रति बीघा है । इच्छुक बागवान ऋण प्राप्त करने हेतु अपने निकटतम सहकारी/व्यवसायिक बैंकों से सम्पर्क स्थापित कर सकते हैं ।

10. खुम्ब उत्पादन कार्यक्रम

खुम्ब उत्पादन में हिमाचल प्रदेश का देश में प्रमुख स्थान है । प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों की जलवायु, जहां ग्रीष्म ऋतु में तापमान कम तथा आर्द्रता अधिक रहती है, खुम्ब उत्पादन के लिये बहुत उपयुक्त है । प्रदेश के कुछ भागों (शिमला, चायल, कसौली आदि) जो समुद्र तट से लगभग 2000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, में प्रति वर्ष में खुम्ब की चार फसलें उगाई जा सकती हैं । इन स्थानों पर शीत ऋतु में केवल कृत्रिम गर्मी की आवश्यकता पड़ती है । प्रदेश के कम ऊंचाई वाले क्षेत्रों में खुम्ब की एक से तीन फसलें प्रति वर्ष उगाई जा सकती है ।

उद्यान विभाग, हिमाचल प्रदेश द्वारा प्रदेश में खुम्ब विकास हेतु विभिन्न सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं जिनका ब्यौरा इस प्रकार से है ।

1. खुम्ब उत्पादन में प्रशिक्षण :

प्रदेश के किसानों तथा बेरोजगार नवयुवकों को खुम्ब उत्पादन में प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु समय-समय पर दस दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन खुम्ब परियोजना चम्बाघाट, सोलन, पालमपुर एवं बजौरा कुल्लू में किया जाता है, जिसमें खुम्ब उत्पादकों/उद्यमियों को खुम्ब उत्पादन की आधुनिक तकनीकी में प्रशिक्षण दिया जाता है । खुम्ब प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लेने वाले प्रशिक्षणार्थियों को 45.75 रुपये प्रतिदिन की दर से भत्ता तथा 5 रुपये विविध खर्च के लिये दिया जाता है ।

2. खुम्ब खाद की आपूर्ति :

वैज्ञानिक ढंग से उत्पादित खुम्ब खाद, खुम्ब उत्पादन का एक महत्वपूर्ण अंग है । प्रदेश के खुम्ब उत्पादकों को उच्च गुणवत्ता की खाद की आपूर्ति हेतु प्रदेश सरकार द्वारा चम्बाघाट जिला सोलन तथा पालमपुर जिला कांगड़ा में खुम्ब उत्पादन इकाईयों की स्थापना की गई है । इसके अतिरिक्त दो नई खुम्ब खाद उत्पादन इकाईयां बैजनाथ जिला कांगड़ा तथा बजौरा जिला कुल्लू में स्थापित की गई हैं । जो खुम्ब उत्पादक अपनी खुम्ब इकाईयों में खुम्ब उत्पादन करने हेतु खाद प्राप्त करने के इच्छुक हों, वे परियोजना निदेशक, खुम्ब परियोजना, चम्बाघाट, सोलन विषय विशेषज्ञ (खुम्ब) पालमपुर तथा सहायक परियोजना अधिकारी खुम्ब बजौरा को पत्र लिखकर खाद का आरक्षण करवा सकते हैं ।

3. खुम्ब उत्पादन हेतु उपदान सुविधाएं :

उद्यान विभाग द्वारा प्रदेश के किसानों व उद्यमियों द्वारा छोटी खुम्ब इकाईयां स्थापित करने हेतु कई प्रकार के उपदान प्रोत्साहन उपलब्ध करवाए जा रहे हैं, जिनका ब्यौरा इस प्रकार से है :-

| क्र० सं० | विवरण | उपदान दर |
|----------|---|---|
| 1. | खुम्ब उत्पादन ट्रे तथा खुम्ब खाद (अधिकतम सीमा 400 ट्रे प्रति व्यक्ति) | लघु तथा सीमान्त किसानों को 25 प्रतिशत तथा अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति/पिछड़े क्षेत्रा तथा आई० आर० डी० पी० से सम्बन्धित किसानों को 50 प्रतिशत उपदान। |

| क्र० सं० | विवरण | उपदान दर |
|----------|--|--|
| 2. | खुम्ब उत्पादन हेतु आवश्यक दवाईयां एवं पौध संरक्षण उपकरण। | लघु तथा सीमान्त किसानों को 25 प्रतिशत तथा अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति/पिछड़े क्षेत्र तथा आई० आर० डी० पी० से सम्बन्धित किसानों को 50 प्रतिशत उपदान। |
| 3. | खुम्ब उत्पादन इकाई स्थापित करने के लिए पूंजीगत व्यय पर। | कुल 2500 रुपये प्रति व्यक्ति 100 ट्रे की खुम्ब इकाई के लिये। |
| 4. | ब्याज दर पर अनुदान | 3 प्रतिशत |
| 5. | खुम्ब खाद के परिवहन पर | 100 प्रतिशत (400 ट्रे खाद तक)। |

3. खुम्ब उत्पादन हेतु ऋण सुविधाएं :

राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक द्वारा अनुमोदित परियोजना के अन्तर्गत प्रदेश में व्यवसायिक बैंकों के माध्यम से खुम्ब उत्पादन इकाई स्थापित करने हेतु ऋण सुविधा उपलब्ध की जाती है, जिसका विवरण इस प्रकार है :-

| खुम्ब उत्पादन इकाई की क्षमता | ऋण की सीमा रुपये | ऋण वापिस करने की अवधि |
|------------------------------|------------------|-----------------------|
| 50 ट्रे | 18000 | 7 वर्ष |
| 100 ट्रे | 36000 | 7 वर्ष |
| 200 ट्रे | 54000 | 7 वर्ष |

जो खुम्ब उत्पादक प्रदेश में खुम्ब उत्पादन हेतु ऋण प्राप्त करने के इच्छुक हों, वे अपने निकटस्थ सहकारी/व्यवसायिक बैंक से ऋण प्राप्त करने हेतु सम्पर्क कर सकते हैं।

11. मौन पालन विकास

हिमाचल प्रदेश में उपलब्ध जलवायु एवं वन्य तथा पुष्प सम्पदा स्रोत, प्रदेश में मधुमक्खी पालन हेतु बहुत ही उचित पाए गए हैं। इसके अतिरिक्त मौन पालन प्रदेश में उद्यान विकास हेतु भी बहुत उपयोगी हैं, क्योंकि इससे फलों में परागण क्रिया के कारण उत्पादकता में वृद्धि होती है। हिमाचल प्रदेश में मौन पालन विकास हेतु निम्नलिखित सुविधाएं/सहायताएं उपलब्ध हैं।

हिमाचल प्रदेश में उपलब्ध जलवायु एवं वन्य तथा पुष्प सम्पदा स्रोतों, प्रदेश में मधुमक्खी पालन हेतु बहुत ही उचित पाए गए हैं । इसके अतिरिक्त मौन पालन प्रदेश में उद्यान विकास हेतु भी बहुत उपयोगी है, क्योंकि इससे फलों में परागण क्रिया के कारण उत्पादकता में वृद्धि होती है । हिमाचल प्रदेश में मौन पालन विकास हेतु निम्नलिखित सुविधाएं/सहायताएं उपलब्ध हैं ।

क. प्रशिक्षण सुविधाएं :

प्रदेश में मधुमक्खी पालन विषय पर तकनीकी जानकारी उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से उद्यान विभाग द्वारा मौन पालन विषय पर सात दिवसीय प्रशिक्षण कोर्स का आयोजन किया जाता है । प्रशिक्षण में भाग लेने वाले किसानों को 45.75 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से दैनिक भत्ता भी दिया जाता है । इसके अतिरिक्त 5.00 रुपये प्रतिदिन प्रति प्रशिक्षणार्थी की दर से विविध खर्चों के लिए व्यय किए जाते हैं ।

ख. मौन पालन सामग्री की आपूर्ति :

उद्यान विभाग हिमाचल प्रदेश इच्छुक बागवानों को मौनपालन इकाई स्थापित करने हेतु आवश्यक सामग्री एवं उपकरण जैसे कि मौन गृह, मधुमक्खी के छत्ते एवं अन्य उपकरण उपलब्ध करवाता है । इस कार्य हेतु विभाग द्वारा प्रदेश में 36 मौन पालन विकास केन्द्रों की स्थापना की गई है जहां कि मौन पालन सामग्री के साथ-साथ मधुमक्खी पालकों को इस व्यवसाय में दिन-प्रतिदिन तकनीकी जानकारी भी उपलब्ध होती है ।

ग. मौन पालन हेतु उपदान :

उद्यान विभाग द्वारा मधुमक्खी पालकों को मौन गृह, मधुमक्खी के छत्ते एवं अन्य आवश्यक उपकरणों पर उपदान दिया जाता है जो कि लघु किसानों को 25 प्रतिशत, सीमान्त किसानों को 33 प्रतिशत तथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े क्षेत्रों एवं आई0 आर0 डी0 पी0 से सम्बन्धित परिवारों को 50 प्रतिशत की दर से उपलब्ध है तथा प्रति परिवार उपदान की अधिकतम सीमा 500 रुपये है ।

घ. मौन पालन हेतु ऋण सुविधाएं :

राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक द्वारा अनुमोदित परियोजना के अन्तर्गत मधुमक्खी पालकों को व्यवसायिक बैंकों से मौन पालन इकाई स्थापित करने हेतु ऋण सुविधा उपलब्ध है, जो कि दस इटालियन मधुमक्खी छत्तों की इकाई के लिये 16200 रुपये है तथा ऋण की अदायगी पांच वर्षों में की जाती है ।

घ मधु विपणन सहायता :

प्रदेश के मधुमक्खी पालकों द्वारा उत्पादित मधु विपणन हेतु उद्यान विभाग, हिमाचल प्रदेश द्वारा निम्नलिखित सुविधाएं उपलब्ध हैं :-

1. मधु की 'एगमार्किंग' हेतु प्रदेश में हाटकोटी जिला शिमला तथा इच्छी जिला कांगड़ा में दो 'एगमार्क' प्रयोगशाला एवं विधायन केन्द्र स्थापित किए गए हैं, जहां पर कि मामूली शुल्क पर मधुमक्खी पालकों को अपने मधु उत्पादों को 'एगमार्क' करने की सुविधा प्राप्त है, ताकि वे अपने उत्पाद का उचित मूल्य प्राप्त कर सकें । इस सेवा हेतु विभाग द्वारा लिये जाने वाले शुल्क का विवरण इस प्रकार से है :-

| क्र0 सं0 | एगमार्क किए जाने वाले मधु की मात्रा | शुल्क |
|----------|-------------------------------------|--------------------|
| 1. | एक किलोग्राम से अधिक | 50 पैसे प्रति किलो |
| 2. | 200 ग्राम से एक किलो | 50 पैसे प्रति पैक |
| 3. | 50 ग्राम एवं 100 ग्राम का पैक | 25 पैसे प्रति पैक |

2. प्रदेश सरकार द्वारा मधुमक्खी पालकों को उनके मधु उत्पाद का उचित मूल्य सुनिश्चित करने हेतु समय-समय पर समर्थन मूल्य की घोषणा की जाती है । यदि मौन पालकों को अपने शहद की बाजार में निर्धारित समर्थन मूल्य से कम कीमत मिलती है तो वे उनका मधु समर्थन मूल्य पर विभाग द्वारा प्रापण कर लिया जाता है ।

सम्पर्क सूत्र :

उपरोक्त सेवाओं को प्राप्त करने हेतु किसान उद्यान विभाग, हिमाचल प्रदेश के निम्नलिखित कार्यालयों से सम्पर्क स्थापित कर सकते हैं

1. मौन पालन विकास अधिकारी,, शिमला-171002.
2. मौन पालन विकास अधिकारी, कांगड़ा जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश ।
3. सम्बन्धित जिलों के उप-निदेशक उद्यान ।

12. हॉप्स उत्पादन

हिमाचल प्रदेश में शीत एवं शुष्क क्षेत्रों में हॉप्स उत्पादन की बहुत सम्भावनाएं हैं । अभी तक हॉप्स को केवल जिला लाहौल स्पिति की लाहौल घाटी में ही व्यवसायिक रूप में पैदा किया जा रहा है तथा प्रति वर्ष लगभग 42 मि0 टन हॉप्स का उत्पादन होता है परन्तु इस फसल की काश्त जिला लाहौल-स्पिति के अतिरिक्त जिला किन्नौर के पूह क्षेत्र तथा जिला चम्बा की पांगी तथा भरमौर तहसीलों में भी सम्भव है । हॉप्स हेतु निम्नलिखित सुविधाएं उपलब्ध हैं :-

1. प्रशिक्षण सुविधाएं :

हॉप्स उत्पादकों को हॉप्स उत्पादन में आधुनिक तकनीकी जानकारी प्रदान करने हेतु प्रति वर्ष हॉप्स उत्पादन क्षेत्रों में क्षेत्रीय अनुसन्धान प्रयोगशाला जम्मू के सहयोग से प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं । जिनमें उत्पादकों को उनके खेतों में ही प्रदर्शन द्वारा जानकारी प्रदान की जाती है ।

2. हॉप्स उत्पादन हेतु पौध एवं अन्य सामग्री की आपूर्ति :

हॉप्स उत्पादन हेतु वांछित पौध एवं अन्य सामग्री जैसे कि पाईप, तार, पौध संरक्षण उपकरण, कीटनाशक, फफूंदनाशक दवाईयां, उद्यान उपकरण आदि की आपूर्ति उद्यान विभाग द्वारा इच्छुक बागवानों से मांग प्राप्त होने पर की जाती है ।

3. हॉप्स विकास हेतु उपदान :

उद्यान विभाग, हिमाचल प्रदेश द्वारा प्रदेश में हॉप्स उत्पादन हेतु निम्नलिखित उपदान उपलब्ध हैं :-

| क्र0 सं0 | विवरण | उपदान दर (प्रतिशत) | उपदान की अधिकतम सीमा (रुपये) |
|----------|--|--------------------|------------------------------|
| 1. | व्यक्तिगत हॉप्स उत्पादन हॉप्स उत्पादन सामग्री (पौध) ट्रेनिंग सामग्री, पौध संरक्षण उपकरण, दवाईयां, बाड़ लगाना एवं सिंचाई सुविधा । | 50 | 10,000 प्रति व्यक्ति |
| 2. | हॉप्स सहकारी समिति/पंचायत | | |
| | 1. हॉप्स उत्पादन सामग्री | 50 | 50,000 |
| | 2. हॉप्स विधयन उपकरण (केवल सहकारी समितियों के लिये) । | 50 | 50,000 |

4. हॉप्स विकास हेतु ऋण सुविधा :

राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक द्वारा हॉप्स विकास हेतु ऋण प्रदान करने के उद्देश्य से एक ऋण परियोजना अनुमोदित की गई है, जिसके अन्तर्गत किसानों को हॉप्स उद्यान स्थापित करने हेतु 30,000/- रुपये प्रति बीघा की दर से ऋण सुविधा उपलब्ध है। ये ऋण सहकारी/व्यवसायिक बैंकों के माध्यम से उपलब्ध है।

5. हॉप्स विधायन सुविधा :

उद्यान विभाग, हिमाचल प्रदेश द्वारा लाहौल घाटी के हॉप्स उत्पादन क्षेत्रों में पांच विधायन संयंत्रों की स्थापना की गई है, जो कि कारगा, शान्शा, वारिंग, कुकुमसेरी तथा परूथी में स्थापित है। इन विधायन केन्द्रों की विधायन क्षमता 33 टन हरी हॉप्स प्रतिदिन है तथा इसका संचालन लाहौल हॉप्स चिकोरी उत्पादक सहकारी संस्था शान्शा के माध्यम से किया जाता है, जो हॉप्स उत्पादक अपनी हॉप्स के विधायन के इच्छुक हों, वे उपरोक्त केन्द्रों में अपने उत्पाद को ले जाकर सुखाने एवं पैकिंग की सुविधा प्राप्त कर सकते हैं। सोलन जिला के बद्दी में सरकार ने संयुक्त क्षेत्रों में एक विधायन इकाई स्थापित की है जिसकी विधायन क्षमता एक मीट्रिक टन प्रति आठ घण्टा है।

सम्पर्क सूत्र:

हॉप्स उत्पादन से सम्बन्धित इन सहायताओं/सुविधाओं से लाभ उठाने के इच्छुक बागवान निम्नलिखित स्रोतों से सम्पर्क कर सकते हैं :-

1. सम्बन्धित जिलों के उपायुक्त ।
2. सम्बन्धित जिलों के उप-निदेशक उद्यान ।
3. विकास खण्डों में नियुक्त उद्यान विकास अधिकारी ।

“उद्यान तकनीकी मिशन के अन्तर्गत प्रकाशित”

राजकीय मुद्रणालय, हि0 प्र0, शिमला-2856-उद्यान/2004-1-1-2005-1,000.